

# न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

क्र. सं.

फर्द अहकाम

मु. नं० 92/16 तारीख रजु 11-8-16

उमवान - बुद्धिसिंह वनाम रामप्रसाद को  
गुजर विधरिया

दादा बाबत घोषणा स्वतन्त्रता एवं स्थायी  
निषेधाज्ञा

वादी की ओर से राम चरेशी गुप्ता A.V. ने दादा  
बाबत घोषणा स्वतन्त्रता एवं स्थायी निषेधाज्ञा  
पेश किया। शपथपत्र वेदस्तीवेजात का अवलोकन  
किया गया। दादा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणों  
को सम्मन से तालुब कर दिनांक 6.9.16 को पेश हो।

2321-37  
11-8-16

उपजिला कलेक्टर  
टोडाभीम (करौली)

5.9.16

वादी वकील उप। प्रतिवादी नं. 1 का 16 के सम्मन की  
तालील विधिवत हो चुकी है। इनमें से कोई भी उपस्थित  
नहीं है इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई की जाती  
है। प्रतिवादी नं. 17 का सम्मन बादलकील प्राप्त नहीं हुआ  
है। वास्ते इन्तजा तालील दिनांक 4.10.16 को पेश हो।

10/16

वादी वकील उप। प्रतिवादी नं. 1 से 7 की ओर से द. 09.8.17 CPE एवं वकालतनामा पेश किया। द. की मकल  
दिलाई। वस्ते जज्ज 18.10.17 को करौली भीटिंग में पेश  
हैं। वास्ते जज्ज द. दिनांक 27.10.16 को पेश हो।



06/2

# न्यायालय उप जिला कलक्टर रोडा

फर्द अहकाम

दिनांक	फर्द अहकाम
17-7-23	पत्रावली पेश हुई / वकील उभयपक्ष कारण वृत्त वास्तु साक्ष्यवादी दिनांक 23-8-23 को पेश हो
23 8 / 23	वादी वकील/वकील उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी... पत्रावली गतानुसार दिनांक... 6-10-23 को पेश हो।
6 10 / 23	पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से कार्य स्थगन रख गये है। पीठासन अधिकारी... दिनांक 17-11-23 को पेश हो।
17-11-23	वादी वकील/वकील उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी... पत्रावली गतानुसार दिनांक... को पेश हो।
22 1 / 24	वकलाय उपस्थित/वार की ओर से कार्य स्थगन रखा पीठासन अधिकारी भ्रमण/मीटिंग/अवकाश पर दिनांक 11-3-24 को पेश हो।
11 3 / 24	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष वकील डायरेक्ट न्यायालय द्वारा बार-बार डायरेक्ट क्लियर पर भी उभयपक्ष कारण व उनके वकील डायरेक्ट न्यायालय रहने से वार्ड का दावा डायरेक्ट डायरेक्ट स्विकार किया जाता है। पत्रावली फेरव सुमार नम्बर से कर दोडर दाखिल दफ्तर हो।